



(३) स्वाधालय श्री मातृ राजस्व मण्डल गवालियर कैम्ब रीवा जिला रोकार प्र.

R-2464-11/2

1:- शिवनाथ गौतम तन्य श्री सिद्धमुनि गौतम निवासी ग्राम जिवला तह रायपुर  
कर्हू बिला रीवा म.प्र.

2072 २-बैधनाथ गौतम तन्य श्री सिद्धमुनि गौतम निवासी ग्राम जिवला तहानीत -

पोस्ट हास्प आज  
26.7.2012 प्रायपुर कर्वलियान, जिला रीवा म.प्र. ————— निगरानी कर्ता गगा

ब ना म

जन्म अ.प्र. गवालियर  
रामहुजान हुबे तन्य श्री/सनेही हुबे निवासी ग्राम गवालियर, तहानीत हुबूर,  
जिला रीवा म.प्र.

३- राममुमिन शिंग तन्य श्री लक्ष्मण प्रसाद मिशन निवासी रामहुजा रीवा  
तहानील हुबूर, जिला रीवा म.प्र.

४- रामदेव तन्य दीर्घा व अंवम निवासी ग्राम जिवला तहानील रायपुर  
कर्हू, जिला रीवा म.प्र. ————— गेर निगरानी कर्ता गगा

अधिकारी की अज्ञाय प्राप्ति  
द्वारा असुला ।।.06.2012

मुख्य  
1.06.2012

निगरानी विवर ३५८ अमर कलेक्टर गवालियर, रोका  
जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्र. १२८/ ११२/ ११४  
मेर पारित अदेश अदानक ३. 4. 2012.

निगरानी अन्तर्गत भारा ५० र.प्र. हु रा.

मान्यवर,

निगरानी के अधीकार अस्त भागत है:-

१:- यहांकि ज्यानकर्य स्वाधालय के द्वारा पारित अदेश विधि व प्रतिपादि -  
यिपरीत द्वारे ते नकरत किये जा ने परेय है।

२:- यहांकि निगरानी कर्ता द्वारा अमने स्वरूप व अंतिष्ठत्य की भूमि क्रमांक

288, 289, 290, 291, एवं 292 स्वाधालय ग्राम गवालियर तहानील हुबूर जिला

रीवा म.प्र. के तकोगाँव द्वारा विधित रकम जमा कर अदेश प्रस्तुत किया गया।

बिला वाणीतन

१.६.२०१२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण R-2464-II / 12

जिला रीवा

शिवनाथ गौतम / रामसुजान दुवे

(1)

(2)

(3)

19.12.18

1. आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 129/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03.04.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

  
सदस्य